

पत्रांक-श्रम क०सं०-120/2025-619

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

अनुदान की स्वीकृतोपरान्त राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में दावेदार कामगार/शिल्पकार के अध्ययनरत पुत्र/पुत्री को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

दावेदार कामगार/शिल्पकार का नाम, उनके पुत्र/पुत्री का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र० सं०	दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि, कार्य की प्रकृति	पुत्र/पुत्री का नाम एवं आधार संख्या	राज्य के अंदर अध्ययनरत छात्र/छात्रा का वर्ष/कक्षा/संस्थान का नाम	माता एवं पिता का आधार संख्या	श्रम अधीक्षक पत्रांक/दिनांक	पता	पुत्र/पुत्री का बैंक का नाम, खाता संख्या एवं आई० एफ० एस० सी०	छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रद्धानन्द पासवान उर्फ श्रद्धानन्द राम, पिता-स्व० विष्णुदयाल राम, उम्र-41 वर्ष (लगभग) कोटि-अनु० जाति, कृषि एवं राजमिस्त्री का हेल्पर	सरोज कुमार मो०- 6207025612	राजकीय पोलिटैक्निक किशनगंज, बिहार द्वितीय वर्ष, सत्र- 2024-27	पिता का आधार सं०- 3102 0273 6060 माता का आधार सं०- 9112 9264 1433	पत्रांक-126 दिनांक- 13.02.2026	ग्रा०-महुअरी पो०-जमुआव थाना- अगिआँव बाजार प्रखंड-पीरो, भोजपुर।	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, खाता सं- 70460100 176532 PUNB0MBG B06	10,000/- - (दस हजार रूपए)

कुल रू० 10,000/-

(दस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 9) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित पुत्र/पुत्री के बैंक खाते कॉलम 8 में किया जाएगा।

ह०/-

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-120/2025-619

पटना, दिनांक :- ११/०६/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित पुत्र/पुत्री को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 9 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रू० 10,000/- (दस हजार रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। उप श्रमायुक्त, पटना/श्रम अधीक्षक, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड

करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

07/05/2026
Signed by Rohit Kumar

Date: 07-05-2026 16:29:12

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bhardi

(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।